



APPENDIX-TWO

FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION
(AMENDMENT) RULES, 2013
Renewal of Application for Registration under RTE

Email : deo.dehradun.dir@gmail.com

Phone Number : 0135-2787028

Fax Number : 0135-2787028

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Dehradun, Uttarakhand
Letter No : 19952-55

Dated : 01-08-2023

To,

The Manager,
SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL, VILL & P.O - BARONWALA, ARCADIA GRANT, SHIMLA
ROAD
Dehradun, Dehradun, SAHASPUR, Pin-Code: 248007

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 01-08-2023 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL, VILL & P.O - BARONWALA, ARCADIA GRANT, SHIMLA ROAD, Dehradun, Dehradun, Pin-Code: 248007. The registration/recognition number of your school is RTE-74123 in District Dehradun. This registration/recognition is for the period from 01-08-2023 to 01-08-2028 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. If prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Dehradun
Uttarakhand

*This is system generated certificate no signature required.


कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : मान्यता आर.टी.ई./1026 /नवीनीकरण/2025-26/ दिनांक 29-12-2025

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर बे0/15-क/12102-09/नवीनीकरण/2019-20 दिनांक 24.01.2020 के द्वारा स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, बड़ोवाला, आरकेडिया, सहसपुर, देहरादून कक्षा-1 से कक्षा-8 तक हिन्दी माध्यम से विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01.08.2018 से 31.07.2023 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र एवं उप शिक्षा अधिकारी सहसपुर, देहरादून की स्थलीय निरीक्षण आख्या में नवीनीकरण संस्तुति के आधार पर उक्त विद्यालय को प्री-प्राइमरी से कक्षा-08 तक अंग्रेजी माध्यम (ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 74123 दिनांक 25.07.2023) से विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01.08.2023 से आगामी 05 वर्षों के लिये मान्यता नवीनीकृत किया जाता है और 05 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नोट—नियमानुसार आगामी सत्र में डी.एल.एड.,टी.ई.टी.-1,2 शिक्षकों की तैनाती एवं 03 माइ के भीतर विद्यालय भूमि विद्यालय/सोसाइटी के नाम विधिवत पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।


(विनोद कुमार डौडियाल)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0 मान्यता/19952-55 /नवीनीकरण/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।